[2021] 7 एस. सी. आर 731

सुधीर कुमार @एस. बालियान

वी.

विनय कुमार जी. बी.

(2021 की सिविल अपील संख्या 5620)

15 सितंबर, 2021

[एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.VII, आर. 14 (3) और या। 11, आर. 1 (वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में संशोधन द्वारा संशोधित)

अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करना-अपीलार्थी-मूल वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का दावा करते हुए वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया

प्रतिवादी के खिलाफ अपीलार्थी अपीलार्थी के व्यापार चिह्न का उपयोग करने के लिए एक आवेदन यू/Or.VII दायर किया, आर. 14 (3) और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की मांग की-उक्त आवेदन को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय ने आदेश की पुष्टि की

वाणिज्यिक न्यायालय-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः या. 11, आर. 1 वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में संशोधन द्वारा संशोधित, के संबंध में

वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमे, Or.VII, R. 14 (3) के प्रावधान लागू नहीं थे-इसलिए, वादी ने अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाले गलत प्रावधान को लागू किया-अब, पहले

उच्चतम न्यायालय में, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को यू/या प्रस्तुत माना गया था। सी. पी. सी. के 11 आर. 1 (4) के रूप में वाणिज्यिक न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए उक्त आवेदन पर विचार किया और आवेदन किया-जहां तक चालानों का संबंध है, वे शिकायत दायर करने के समय उसके कब्जे में नहीं थे और जहां तक अन्य दस्तावेजों का संबंध है, वे भारी होने के कारण दाखिल नहीं किए गए थे-इसलिए, जहां तक अतिरिक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने/पेश करने के लिए मांगे गए चालानों की अनुमति दी जानी चाहिए थी-जहां तक, उनके आधार पर चालानों के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल न करने की अनुमति है।

विशाल होने को शिकायत के साथ प्रकटीकरण/दाखिल न करने के लिए एक उचित कारण नहीं कहा जा सकता है-नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने वादी को शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी है।

यू/या। XI आर. 1 (4) आर/डब्ल्यू। या. XI आर. 1 (5)।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

29.10.2018 . ऐसा प्रतीत होता है कि यह महसूस किया गया और पाया गया कि पहले का मुकदमा वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, वादी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अनुसार एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ 27.07.2019 पर 2018 का TM No.236 होने के कारण उक्त मुकदमा वापस ले लिया। इसलिए, दूसरा मुकदमा 31.08.2019 पर दायर किया गया था और दूसरा मुकदमा दायर करने के तीस दिनों की अवधि के भीतर अपीलार्थी-मूल वादी ने अतिरिक्त दायर करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाले वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी। दस्तावेज़। आवेदन में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जहां तक चालानों का संबंध है, वे शिकायत दायर करने के समय उसके कब्जे में नहीं थे और जहां तक अन्य दस्तावेजों का संबंध है, वे भारी होने के कारण दाखिल नहीं किए गए थे। इसलिए, जहां तक अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में इनवॉइस पर भरोसा करने/पेश करने की मांग की गई है, उन पर भरोसा करने/पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी क्योंकि यह विशेष रूप से कहा गया था कि वे शिकायत/मुकदमा दायर करने के समय उनके कब्जे में नहीं थे। [पैरा 8.1] [747-ए-ई]

2. अब, जहां तक चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने/पेश करने की मांग की गई है, वे हैं

संबंधित एक ही अलग-अलग आधार पर खड़ा है। यह विवादित नहीं है और वास्तव में इसे विशेष रूप से स्वीकार किया गया था और इसलिए आवेदन में कहा गया था कि चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेज उनके कब्जे में थे, लेकिन भारी मात्रा में पेश नहीं किए गए थे और मुकदमा तत्काल दायर किया गया था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब दूसरा मुकदमा दायर किया गया था, तो इसे तत्काल नहीं कहा जा सकता है

निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करना, क्योंकि पहला मुकदमा अक्टूबर, 2018 के महीने में दायर किया गया था और दिनांक 29.10.2018 के आदेश के माध्यम से एक एक्सपार्ट विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा थी और उसके बाद वादी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अनुसार एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ 27.07.2019 पर उक्त पहला मुकदमा वापस ले लिया और दूसरा मुकदमा पहला मुकदमा वापस लेने के एक महीने की अवधि के बाद 31.08.2019 पर दायर किया गया। इसलिए वादी सुधीर कुमार @एस. बालियान बनाम की ओर से मामला।

विनय कुमार जी. बी.

29.10.2018 ; आई. डी. 2 पर पहला मुकदमा वापस लेना और बाद में आई. डी. 1 पर दूसरा मुकदमा दायर करना, चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों को इस आधार पर दाखिल नहीं करना कि वे भारी मात्रा में हैं, शिकायत के साथ खुलासा/दाखिल न करने का एक उचित कारण नहीं कहा जा सकता है। पहला मुकदमा दायर करने और दूसरा मुकदमा दायर करने के बीच पर्याप्त समय का अंतराल था यानी लगभग 10 महीने और इसलिए जब दूसरा मुकदमा दायर किया जाता था। पहला मुकदमा दायर करने के बाद वादी के पास दूसरा मुकदमा दायर करने के समय चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेज दायर करने के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने वादी को आदेश XI नियम 1 (5) के साथ पठित आदेश XI नियम 1 (4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी है। [पैरा 8.5] [748-जी-एच; 749-ए-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.5620

2021 .

सी. एम. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 06.04.2021 के निर्णय और आदेश से। (एम) 2021 का 181.

सचिन दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , मेसर्स लॉविक के लिए जयंत कुमार, अमित मेहता, सुश्री अथिरा जी. नायर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री कृतिका विजय, आदित्य वर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 06.04.2021 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

दिल्ली में 2021 के सी. एम. (एम) No.181 में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहां मूल वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका को खारिज कर दिया है और सिविल प्रक्रिया संहिता (इसके बाद संहिता के रूप में संदर्भित) के आदेश VII नियम 14 (3) के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक <आई. डी. 1 की पुष्टि की है, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई है, मूल वादी ने वर्तमान को प्राथमिकता दी है।

अपील करें।

2. इसमें अपीलार्थी-मूल वादी ने विद्वान की अदालत में लंबित वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (केंद्रीय) 10,2019 का टी. एम. <आई. डी. 1 होने के नाते, प्रतिवादी के खिलाफ ट्रेड मार्क "आई. एन. एस. आई. जी. एच. टी"., "आई. एन. एस. आई. जी. एच. टी. ए. सी. ए. डी. एम. वाई"., "आई. एन. एस. आई. जी. एच. टी. आई. ए. एस. ए. डी. एम. वाई". और "आई. एन. एस. आई. जी. एच. टी". का उपयोग करने से स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री का दावा करने के लिए। प्रकाशन "। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी ने 2018 का ट्रेड मार्क सूट No.236 होने के नाते पहले का मुकदमा दायर किया था, जिसमें इस तरह के गोद लेने और ट्रेडमार्क के उपयोग का दावा किया गया था। हालाँकि, बाद में इसे 27.07.2019 पर वापस ले लिया गया, क्योंकि इसे वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (इसके बाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुरूप दायर नहीं किया गया था और बाद में 31.08.2019 पर वर्तमान मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि इसके द्वारा ट्रेडमार्क को अपनाना और उपयोग 2006 से किया जा रहा है। उच्च न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष मुकदमों पर लागू आदेश 11 नियम 1 के प्रावधानों के अनुसार, वादी को अपनी शक्ति में सभी दस्तावेजों की सूची और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी दाखिल करने की आवश्यकता थी।

मुक़दमे से संबंधित कब्ज़ा, नियंत्रण या अभिरक्षा, शिकायत या चालान सहित कुछ दस्तावेजों के साथ पेश नहीं किया गया था। वाद के साथ और इसलिए यहाँ अपीलार्थी ने सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश VII नियम 14 (3) के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति मांगी गई।

2.1

दिनांक 13.11.2019 के आदेश द्वारा, विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय अपीलार्थी द्वारा दायर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाले उक्त आवेदन को खारिज कर दिया गया।

वह ऊधिर कुमार @एस. बालियान बनाम। विनय कुमार जी. बी. [एम. आर. शाह, जे.]

इसके बाद प्रतिवादी ने लिखित बयान दायर किया

06.01.2020 . आदेश XI नियम 7 के अनुसार प्रतिवादी भी

मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेजों की सूची, सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में, लिखित बयान के साथ या अपने जवाबी दावे, यदि कोई हो, के साथ दाखिल करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, प्रतिवादी द्वारा लिखित दस्तावेज़ के साथ कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

बयान और इसलिए प्रतिवादी ने सी. पी. सी. के आदेश 11 नियम 1 (10) के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें अदालत से अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति मांगी गई जैसा कि उक्त आवेदन में निर्धारित किया गया है, हालांकि, वाणिज्यिक अदालत ने दिनांक 08.10.2020 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को आंशिक रूप से खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांकित आदेश के माध्यम से 07.12.2020 प्रतिवादी द्वारा दायर सभी दस्तावेजों को रिकॉर्ड में लेते हुए उक्त अपील की अनुमति दी। कि उसके बाद विद्वान

वाणिज्यिक न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत दायर आवेदन

वादी का सी. पी. सी. दिनांकित 16.01.2021 आदेश के माध्यम से।

कि इसके बाद यहाँ अपीलकर्ता-मूल वादी ने दायर किया

2.2

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2021 के सीएम (एम) No.181 ने दिनांकित 13.11.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए अतिरिक्त दायर करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज कर दिया।

वादी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेज। विवादित फैसले से

और आदेश देते हुए, उच्च न्यायालय ने 2021 के उक्त सीएम (एम) संख्या 181 को खारिज कर दिया है और वादी द्वारा दायर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल वादी ने विशेष अपील को प्राथमिकता दी है।

4. श्री सचिन दत्ता, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पक्ष रखा

ई अपीलार्थी ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में और

मामले के उदाहरण, वादी द्वारा अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रस्तुत आवेदन, जैसा कि में उल्लेख किया गया हैआदेश XIV नियम 3 के तहत प्रस्तुत आदेश की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.1

यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे दस्तावेज जो

जिन पर भरोसा करने की मांग की जाती है और रिकॉर्ड पर पेश करने की मांग की जाती है, वे न्याय के उद्देश्य के लिए बहुत आवश्यक हैं।

मुक़दमे का निर्णय।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब प्रतिवादी को अनुमति दी गई थी

4.2

आदेश XI के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिखित बयान के साथ अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करें सी. पी. सी. के नियम 1 (10), इसी तरह वादी को भी अतिरिक्त रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

दस्तावेज़ जो इस तरह के लिए बहुत आवश्यक हैं मुक़दमे का निर्णय।

4.3

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि श्री दत्ता, विद्वान वरिष्ठ द्वारा

अपीलार्थी की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए आवेदन की सराहना करनी चाहिए थी, जो वादी द्वारा 10 के भीतर दायर किया गया था।

मुकदमा दायर करने के दिन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अतिरिक्त

वादी द्वारा विलंबित स्तर पर दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में भी भौतिक रूप से गलती की है कि अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल नहीं करने का स्पष्टीकरण एक विचार के बाद है और जब आदेश XXXIX नियम के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन किया जाता है।

1 आदेश के लिए रखा गया था।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने बिल्कुल भी सराहना नहीं की है

4.4

तथ्य यह है कि अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाला आवेदन मुकदमा दायर करने के 30 दिनों के भीतर दायर किया गया था और इसलिए सी. पी. सी. के आदेश 11 नियम 1 (4) के तहत आवश्यकता को पूरा किया गया था।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी गलती की है

4.5

यह स्वीकार नहीं करना कि अतिरिक्त दस्तावेज समर्थन में हैं

शिकायत में पहले से की गई दलीलों में से।

4.6

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी गलती की है

यह स्वीकार नहीं करते हुए कि विद्वत विचारण न्यायालय/वाणिज्यिक न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि दस्तावेज़ संदिग्ध हैं

क्योंकि वादी ने वाद में उक्त दस्तावेजों के अस्तित्व का उल्लेख नहीं किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के चरण में, विद्वान आर कुमार @एस. बालियान बनाम।

विनय कुमार जी. बी.

[एम. आर. शाह, जे.]

ट्रायल कोर्ट/कमर्शियल कोर्ट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार करें, जो अन्यथा तय किए जाने की आवश्यकता है या

मुकदमे की सुनवाई के दौरान विचार किया गया।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी जहां तक चालानों का संबंध है, जिन्हें प्रस्तुत करने की मांग की जाती है,

यह विशेष रूप से कहा गया था कि उक्त दस्तावेज उस समय उपलब्ध नहीं थे या वादी के कब्जे में नहीं थे जब मुकदमा दायर किया गया था और उनका पता चला था

बाद में।

चालान की तुलना में, सूट के साथ। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालान के अलावा अतिरिक्त दस्तावेजों को वादी के साथ पेश नहीं करने के लिए वादी की ओर से कोई अन्य दुर्भावनापूर्ण इरादा और/या लापरवाही नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमा तत्काल आधार पर एक एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दायर किया गया था और इसलिए चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेज, जो भारी थे, शिकायत के साथ प्रस्तुत नहीं किए गए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए जब अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन 10 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था मुकदमा दायर करने की तारीख से यानी बिना किसी अनुचित देरी के, उक्त आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए थी और वादी को आवेदन में उल्लिखित अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

वर्तमान अपील का सुश्री कृतिका ने जोरदार विरोध किया है।

इसमें प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित होने वाले एड अधिवक्ता-एंडेंट।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और आदेश XI के उद्देश्य और उद्देश्य पर विचार करते हुए

वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमों पर लागू नियम 1 और उक्त प्रावधानों पर विचार करते हुए, विद्वत विचारण न्यायालय/वाणिज्यिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने वादी द्वारा दायर आवेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया है।

सी. पी. सी. का आदेश VII नियम 14 (3)।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

वादी द्वारा अभियोग के साथ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी ठोस कारण के अभाव में, वादी द्वारा अतिरिक्त प्रस्तुत करने के लिए अदालत की अनुमति लेने के लिए प्रस्तुत आवेदन दस्तावेज़ों को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर पेश करने के लिए अदालत की अनुमति मांगने वाले वादी के आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश सी. पी. सी. के आदेश 11 नियम 1 (4) और आदेश 11 नियम 1 (5) के प्रावधानों के अनुरूप है।

प्रतिवादी-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. पी. सी. में संशोधन के माध्यम से विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए, सी. पी. सी. के आदेश 11 नियम 1 में संशोधन करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 पर विचार करते हुए, वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमे, आदेश 7 नियम 14 (3) बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे और जो लागू होगा वह सी. पी. सी. का आदेश 11 नियम 1 होगा जैसा कि मुकदमों पर लागू होता है।

आदेश XXXIX नियम 1 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन की सुनवाई के दौरान कि जिन दस्तावेजों को बाद में पेश करने की मांग की जाती है, वे उनके रास्ते में आ सकते हैं और अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को आदेशों के लिए रखा गया था और बाद में विचार के रूप में आवेदन दिया गया था। इसमें प्रतिवादी-मूल प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करने का कारण/कारण दिखाया गया है, अर्थात्, क्योंकि दस्तावेज भारी थे और इसलिए उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया था, यह एक आधार नहीं हो सकता है, ताकि बाद में वादी को अतिरिक्त दस्तावेज दर्ज करने की अनुमति दी जा सके।

दस्तावेज़ जो वादी के कब्जे में थे

शिकायत/मुकदमा दायर करने के समय।

उपरोक्त प्रस्तुतियों के बाद, वर्तमान जे. डी. एच. आई. आर. कुमार @एस. बालियान बनाम को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

विनय कुमार जी. बी. [एम. आर. शाह, जे.]7. हमने सी. टी. आई. वी. पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

विवादित फैसले और आदेश से, उच्च न्यायालय ने

7.1

विद्वत वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिनांकित 13.11.2019 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया- मूल वादी ने अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए अदालत की अनुमति मांगी। कि उक्त आवेदन द्वारा वादी ने अनुरोध किया कि वह उसे आवेदन के पैराग्राफ 3 में उल्लिखित चालान को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दे और कुछ अन्य भी।

अतिरिक्त दस्तावेज़। कि वादी ने कहा कि अतिरिक्त दस्तावेजों को रिकॉर्ड में रखने के लिए अनुमति के लिए आवेदन

पैराग्राफ 3 और 4 में निम्नानुसार हैः

" 3. कि वर्तमान के साथ-साथ दस्तावेज

विशेष रूप से दिनांकित 03.05.2005, दिनांकित चालान में आवेदन

08.07.2005 , इनवॉइस दिनांकित 10.08.2005, इनवॉइस दिनांकित 22.02.2006, इनवॉइस दिनांकित 10.04.2006,1nvolse दिनांकित 05.06.2006, इनवॉइस दिनांकित 15.07.2006, इनवॉइस दिनांकित 10.01.2007, इनवॉइस दिनांकित 14.03.2007, इनवॉइस दिनांकित 19.05.2007, इनवॉइस दिनांकित 08.07.2007, इनवॉइस दिनांकित 06.09.2007, इनवॉइस दिनांकित 14.03.2007, इनवॉइस दिनांकित 01.10.2007 को शिकायत के साथ दाखिल नहीं किया जा सका क्योंकि यह बहुत पुराना है और इसमें नहीं है।

अभियोग दाखिल करने के समय वादी का अधिकार। अब यह

वादी ने शिवालिक ग्राफिक्स से भी यही पाया है। 4. यह कि उपरोक्त दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों को वादी मामले से संबंधित विशाल रिकॉर्ड के कारण दायर नहीं किया जा सका, मामला दायर करने के समय दायर नहीं किया जा सका, लेकिन वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

पक्षकारों के बीच विवाद के निर्णय के लिए महत्वपूर्ण।

उपरोक्त आवेदन विद्वान द्वारा खारिज कर दिया गया है।

न्यायिक न्यायालय, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है

न्याय और आदेश प्राप्त किया।

7.2 शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस तरह से अनुमति के लिए उक्त आवेदन को रिकॉर्ड में अतिरिक्त प्रस्तुत करने के लिए

सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 14 (3) के तहत मूल वादी द्वारा दस्तावेजों को प्राथमिकता दी गई थी। तथापि, आदेश 11 नियम 1 पर विचार करते हुए

वाणिज्यिक मुकदमे जिनके द्वारा वाणिज्यिक [2021] 7 एस. सी. आर. के समक्ष मुकदमों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

न्यायालय और वाणिज्यिक की धारा 16 को ध्यान में रखते हुए

वाणिज्यिक प्रभाग के समक्ष और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमों के संबंध में विहित, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता का पालन करना होगा।

और उच्च न्यायालय की अधिकारिता के किसी नियम का कोई प्रावधान या राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई संशोधन जो वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता के विपरीत है, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रावधान प्रबल होगा। इसलिए, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष मुकदमों के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम में संशोधन द्वारा संशोधित आदेश 11 नियम 1,

आदेश VII नियम 14 (3) के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे। इसलिए वादी ने गलत आवेदन किया

अतिरिक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने का प्रावधान। हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उसके बाद, दोनों विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने व्यवहार किया और विचार किया और यहां तक कि आवेदन भी किया

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा संशोधित सी. पी. सी. का आदेश 11 नियम 1 और वाणिज्यिक प्रभाग, वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष दायर मुकदमों पर लागू होने के अनुसार, हम आगे बढ़ते हैं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करें-मूल वादी, जैसे कि वह आदेश के तहत प्रस्तुत किया गया था।

सी. पी. सी. का 11 वाँ नियम 1 (4)।

यह सच है कि सी. पी. सी. का आदेश 11 नियम 1 जैसा कि लागू होता है

वाणिज्यिक मुकदमों ने एक आमूलचूल परिवर्तन लाया और यह वादी को वाद से संबंधित सभी दस्तावेजों की एक सूची, सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में, वाद के साथ दायर करने के लिए अनिवार्य करता है और आदेश XI नियम 1 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया की आवश्यकता होती है।

वादी और प्रतिवादी द्वारा अनुसरण किया जाए, जब मुकदमा वाणिज्यिक मुकदमा हो। आदेश XI नियम 1, जैसा लागू हो

वाणिज्यिक सूट के लिए निम्नानुसार हैः

ऊधिर कुमार @एस. बालियान बनाम। विनय कुमार जी. बी. [एम. आर. शाह, जे.]

आदेश XI से पहले मामलों में दस्तावेजों का विवरण, खोज और निरीक्षण

उच्च न्यायालय या वाणिज्यिक न्यायालय का वाणिज्यिक विभाजन

(ख) वादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में कार्यवाहियों में प्रश्नगत किसी भी मामले से संबंधित दस्तावेज, चाहे वे वादी के मामले के समर्थन में हों या प्रतिकूल; (ग) इस नियम में कुछ भी वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा और केवल प्रासंगिक होगा।

((i) प्रतिवादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए, या

((ख) अभियोग दाखिल करने के बाद प्रतिवादी द्वारा स्थापित किसी भी मामले के जवाब में, या

(iii) केवल अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए एक गवाह को सौंप दिया गया।

(3) वाद में वादी की शपथ पर एक घोषणा होगी कि वादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज, वादी के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं। उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का खुलासा किया गया है और उनकी प्रतियां भी जारी की गई हैं।

वाद के साथ संलग्न किया गया है, और यह कि वादी के पास अपनी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

स्पष्टीकरण। इस उप-नियम के तहत शपथ पर एक घोषणा सत्य के कथन में निहित होगी जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है।

(4) तत्काल फाइलिंग के मामले में, वादी शपथ पर उपरोक्त घोषणा के हिस्से के रूप में अतिरिक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए अनुमति ले सकता है।

और न्यायालय द्वारा ऐसी अनुमति दिए जाने के अधीन, वादी दायर करने के तीस दिनों के भीतर न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज दायर करेगा।

वाद, शपथ पर एक घोषणा के साथ कि वादी ने वादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और वादी के पास अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है।

(क) लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा संदर्भित और उन पर भरोसा किए गए दस्तावेज़; (ख) प्रतिवादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में कार्यवाही में प्रश्नगत किसी भी मामले से संबंधित दस्तावेज, चाहे वे प्रतिवादी के बचाव के समर्थन में हों या प्रतिकूल;

((i) वादी के गवाहों की प्रतिपरीक्षा के लिए, ((ख) वाद दायर करने के बाद वादी द्वारा स्थापित किसी भी मामले के जवाब में, या

(iii) केवल अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए एक गवाह को सौंप दिया गया।

ऊधिर कुमार @एस. बालियान बनाम। विनय कुमार जी. बी. [एम. आर. शाह, जे.]

प्रतिदावा निर्दिष्ट करेगा कि क्या दस्तावेज़, शक्ति में, प्रतिवादी का कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा, मूल, कार्यालय प्रतियां या फोटोकॉपी हैं और सूची में संक्षिप्त विवरण भी दिए जाएंगे।

(9) लिखित कथन या प्रतिवाद में शामिल होगा - प्रतिनिधि द्वारा की गई शपथ पर घोषणा कि सभी दस्तावेज

प्रतिवादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा, सिवाय और उप-नियम (7) (ग) (iii) में उल्लिखित नियमों को छोड़कर

द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के तथ्य और परिस्थितियाँ वादी या प्रतिवाद में, खुलासा किया गया है और प्रतियां हैं

लिखित कथन या प्रतिवाद के साथ संलग्न और

कि प्रतिवादी के पास अपनी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण नहीं है

या अभिरक्षा, कोई अन्य दस्तावेज।

(10) उप-नियम (7) (सी) (iii) को छोड़कर, प्रतिवादी ऐसा नहीं करेगा।

दस्तावेज़ों पर भरोसा करने की अनुमति दी जाए, जो प्रतिवादी के पास थे शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा और इसके साथ प्रकट नहीं किया गया

लिखित कथन या प्रतिदावा, बचत और अनुमति को छोड़कर न्यायालय की अनुमति और ऐसी अनुमति केवल प्रतिवादी को दी जाएगी।

गैर-प्रकटीकरण के लिए उचित कारण स्थापित करना

लिखित कथन या प्रतिवाद। (11) लिखित कथन या प्रतिदावा का विवरण निर्धारित करेगा -

अधिकार, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में दस्तावेज

वादी, जिस पर प्रतिवादी भरोसा करना चाहता है और जिसके पास है

अभियोग के साथ खुलासा नहीं किया गया है, और वादी को बुलाने के लिए

एक ही उत्पादन करें। (12) उन दस्तावेजों का खुलासा करने का कर्तव्य, जो ध्यान में आए हैं

एक पक्ष का, मुकदमे के निपटारे तक जारी रहेगा।

आदेश XI नियम 1 (3) में प्रावधान है कि शिकायत में एक

वादी से शपथ पर राशन कि सत्ता में सभी दस्तावेज,तथ्यों से संबंधित वादी का कार्य, नियंत्रण या अभिरक्षा और

उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के तथ्यों का खुलासा किया गया है।

वादी के साथ संलग्न उसकी राय, और यह कि वादी नहीं करता है

इसकी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में अन्य दस्तावेज। के रूप में

आदेश 11 नियम 1 (3) के तहत स्पष्टीकरण शपथ पर घोषणा [2021] 7 एस. सी. आर.

यह उप-नियम सत्य के कथन में निहित होगा जैसा कि परिशिष्ट में निर्धारित किया गया है। सत्य के कथन के संबंध में परिशिष्ट I निम्नानुसार हैः

" एपेन्डिक्स-I

सत्य का कथन

(पहली अनुसूची के तहत, आदेश VI-नियम 15 ए और आदेश XI-नियम 3)

आई.

— प्रतिनिधि इसके द्वारा गंभीरता से पुष्टि करता है और घोषित करता है कि

इसके अंतर्गतः

1. मैं उपरोक्त मुकदमे में पक्षकार हूं और यह शपथ लेने के लिए सक्षम हूं।

शपथ पत्र।

2. मैं मामले के तथ्यों से पर्याप्त रूप से परिचित हूं और इसके संबंध में सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और अभिलेखों की भी जांच की है।

परिच्छेद सही हैं

3. मैं कहता हूं कि मेरी जानकारी में दिए गए बयान और पैराग्राफ में दिए गए बयान प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं जिन्हें मैं सही मानता हूं और पैराग्राफ में दिए गए बयान कानूनी सलाह पर आधारित हैं।

4. मैं कहता हूं कि कोई गलत बयान या किसी भी भौतिक तथ्य, दस्तावेज या रिकॉर्ड को छिपाया नहीं गया है और मैंने ऐसी जानकारी शामिल की है जो मेरे अनुसार वर्तमान मुकदमे के लिए प्रासंगिक है।

5. मैं कहता हूं कि मेरी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेज, तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित हैं मेरे द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों का खुलासा किया गया है और उनकी प्रतियां दी गई हैं।

अभियोग के साथ संलग्न, और यह कि मेरे पास अपनी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। 6. मैं कहता हूँ कि उपरोक्त

पृष्ठ, प्रत्येक

उल्लिखित अभिवचन में कुल शामिल हैं -

जिस पर मेरे द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।

7. मेरा कहना है कि यहाँ के अनुलग्नक उन दस्तावेजों की वास्तविक प्रतियाँ हैं जिन्हें मैंने संदर्भित किया है और जिन पर भरोसा किया गया है।

8. मैं कहता हूं कि मुझे पता है कि किसी भी झूठे बयान या छिपाने के लिए, मैं वर्तमान में लागू कानून के तहत मेरे खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए उत्तरदायी रहूंगा।

सुधीर कुमार @एस. बालियान बनाम। विनय कुमार जी. बी. [एम. आर. शाह, जे.]

स्थानः

तारीखः

विभाग

वेरिफिकेशन

..... एतद्वारा घोषणा करें कि कथन

आई...

ऊपर दिए गए मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं।

इस तारीख को [स्थान] पर सत्यापित किया गया

प्रतिनि

धि। " .]

अतः शपथ की घोषणा वाद का हिस्सा होगी। द.

वादी को शपथ पर यह घोषणा करनी होगी कि उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित उसकी/उसकी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों का खुलासा किया गया है और उनकी प्रतियां वाद के साथ संलग्न की गई हैं, और यह कि उसके पास अपनी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है। इसलिए आदेश 11 नियम 1 द्वारा वादी को कार्यवाही के तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित अपनी शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों का खुलासा करने और प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

हालांकि, अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति दी जा सकती है

7.4

न्यायालय की अनुमति के साथ अभिलेख पर खरीदा गया जैसा कि प्रदान किया गया है

आदेश XI नियम 1 (4)। आदेश XI नियम 1 (4) में प्रावधान है कि

तत्काल फाइलिंग के मामले में, वादी भरोसा करने के लिए अनुमति ले सकता है

उपरोक्त घोषणा के हिस्से के रूप में अतिरिक्त दस्तावेजों पर शपथ पर [जैसा कि आदेश 11 नियम 1 (3) के तहत प्रदान किया गया है] और विषय

न्यायालय द्वारा ऐसी अनुमति देने के लिए, वादी इस तरह की याचिका दायर करेगा

दाखिल करने के तीस दिनों के भीतर अदालत में अतिरिक्त दस्तावेज

वाद, शपथ पर एक घोषणा के साथ कि वादी

अपनी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण में सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है

या अभिरक्षा, तथ्यों और परिस्थितियों से संबंधित

वादी और वादी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही

अपने अधिकार में कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,

नियंत्रण या अभिरक्षा।

आदेश XI नियम 1 (5) में आगे यह प्रावधान है कि वादी

7.5

दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो

वादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा और नहीं

अभियोग के साथ या विस्तारित अवधि [2021] 7 एस. सी. आर. के भीतर खुलासा किया गया।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

आदेश XI नियम 1 (5) के साथ पढ़ने पर यह पता चलता है कि (i) तत्काल दाखिल करने के मामले में वादी अतिरिक्त पर भरोसा करने के लिए अनुमति ले सकता है। दस्तावेज़; (ii) मुकदमा दायर करने के तीस दिनों के भीतर; (iii)

खुलासा न करने के लिए एक उचित कारण निकालना

शिकायत के साथ।

इसलिए वादी को और तीस दिनों का समय दिया जाता है।

अभिलेख पर रखने या न्यायालय में ऐसे अतिरिक्त दस्तावेजों को दाखिल करने के लिए और वादी द्वारा शपथ पर एक घोषणा दायर करने की आवश्यकता होती है जैसा कि आदेश XI नियम 1 (3) के अनुसार आवश्यक था, यदि किसी के लिए

शिकायत के साथ खुलासा न करने का उचित कारण,

दस्तावेज़, जो वादी की शक्ति में थे,

कब्जा, नियंत्रण या अभिरक्षा और शिकायत के साथ खुलासा नहीं किया गया। इसलिए वादी को संतुष्ट करना होगा और स्थापित करना होगा

शिकायत के साथ-साथ खुलासा न करने का उचित कारण।

उस समय वादी की शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा जब शिकायत दायर की गई थी। अतः वाणिज्यिक वाद पर लागू आदेश 11 नियम 1 (4) और आदेश 11 नियम 1 (5) केवल उन दस्तावेजों के संबंध में लागू होंगे जो वादी की शक्ति, कब्जे, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जिनका शिकायत के साथ खुलासा नहीं किया गया था। इसलिए, शिकायत के साथ-साथ गैर-प्रकटीकरण में उचित कारण स्थापित करने की कठोरता उस मामले में उत्पन्न नहीं हो सकती है जहां अतिरिक्त

पेश किए जाने/उन पर भरोसा किए जाने के लिए मांगे गए दस्तावेजों को शिकायत दायर करने के बाद पाया जाता है।

वैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए वाणिज्यिक न्यायालय के आदेश का अतिरिक्त पर भरोसा करने की अनुमति के लिए वादी के आवेदन का परीक्षण और विचार करने की आवश्यकता है।

आर कुमार @एस. बालियान बनाम। विनय कुमार जी. बी.

[एम. आर. शाह, जे.]

दस्तावेज़। आवेदन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि जहां तक चालानों का संबंध है, वे ही थे अभियोग दाखिल करने के समय उसके कब्जे में नहीं था और जहां तक अन्य दस्तावेजों का संबंध है, वे भारी होने के कारण दाखिल नहीं किए गए थे। इसलिए, जहां तक अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में चालान पर भरोसा करने/पेश करने की मांग की गई है, उन पर भरोसा करने/पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए थी क्योंकि यह विशेष रूप से कहा गया था कि वे शिकायत/मुकदमा दायर करने के समय उनके कब्जे में नहीं थे।

इस साधारण कारण से स्वीकार किया गया कि आवेदन दूसरा मुकदमा दायर करने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर किया गया था और उस समय जब आदेश XXXIX नियम 1 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पूरी तरह से नहीं सुना गया था और आदेश के लिए रखा गया था। यहाँ तक कि विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिया गया कारण भी

कि चालान संदिग्ध होने और इसलिए उक्त चालान प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देने को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अभिलेख पर रखने के लिए अनुमति देने के चरण में अतिरिक्त

अदालत को जिन दस्तावेजों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है

दस्तावेजों/अतिरिक्त दस्तावेजों की वास्तविकता,

जिस स्तर पर दस्तावेजों की प्रामाणिकता होनी चाहिए

परीक्षण के दौरान और/या यहां तक कि [2021] 7 एस. सी. आर. के स्तर पर भी विचार किया गया।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

आदेश XXXIX नियम 1 के तहत आवेदन का निर्णय लेना कि

वादी अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में आवेदन में उल्लिखित चालान पर भरोसा करने/पेश करने के लिए। अब, जहां तक चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने/अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में पेश करने की मांग की गई है, वे अलग-अलग आधार पर समान हैं। यह विवादित नहीं है और वास्तव में इसे विशेष रूप से स्वीकार किया गया था और इसलिए आवेदन में कहा गया था कि चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेज उनके कब्जे में थे, लेकिन भारी मात्रा में पेश नहीं किए गए थे और मुकदमा तत्काल दायर किया गया था। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब दूसरा

मुकदमा दायर किया गया था, इसे निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा तत्काल दायर करना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहला मुकदमा उस महीने दायर किया गया था जब

अक्टूबर, 2018 और दिनांक 29.10.2018 के आदेश के माध्यम से एक एकतरफा विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा थी और उसके बाद वादी ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के अनुसार एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ 27.07.2019 पर उक्त पहला मुकदमा वापस ले लिया और दूसरा मुकदमा पहला मुकदमा वापस लेने के एक महीने की अवधि के बाद 31.08.2019 पर दायर किया गया। इसलिए वादी की ओर से यह मामला कि जब दूसरा मुकदमा दायर किया गया था, तो इसे तत्काल दायर किया गया था, इसलिए चालान के अलावा जिन अतिरिक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने की मांग की गई थी, उन्हें दायर नहीं किया गया था क्योंकि वे भारी मात्रा में थे, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए आदेश 11 नियम 1 (4) लागू नहीं होगा, हालांकि आवेदन दूसरा मुकदमा दायर करने के तीस दिनों के भीतर दायर किया गया था। उन दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए अदालत से अनुमति मांगते समय, जो उसकी शक्ति, अधिकार, नियंत्रण या अभिरक्षा में थे और जो वाद के साथ या आदेश 11 नियम 1 (4) में निर्धारित विस्तारित अवधि के भीतर प्रकट नहीं किए गए थे, वादी को वाद के साथ खुलासा न करने के लिए उचित कारण स्थापित करना होगा।

वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर और अक्टूबर, 2018 के महीने में पहला मुकदमा दायर करने को ध्यान में रखते हुए; वादी के पक्ष में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.10.2018; 27.07.2019 पर पहला मुकदमा वापस लेना और बाद में सुधीर कुमार @S. बालियान v.

विनय कुमार जी. बी. [एम. आर. शाह, जे.]

31.08.2019 पर दूसरा मुकदमा, चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों को उनके आधार पर दाखिल न करना

विशाल होने को शिकायत के साथ प्रकटीकरण/दाखिल न करने का एक उचित कारण नहीं कहा जा सकता है। पहला मुकदमा दायर करने और दूसरा मुकदमा दायर करने के बीच पर्याप्त समय का अंतराल था यानी लगभग 10 महीने और इसलिए जब दूसरा मुकदमा दायर किया गया था तो वादी था

पहला मुकदमा दायर करने के बाद, जब दूसरा मुकदमा दायर किया गया था, उस समय चालान के अलावा अन्य अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय होना। इसलिए, नीचे दी गई दोनों अदालतों ने वादी को आदेश XI नियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी है।

1 (4) आदेश XI नियम 1 (5) के साथ पढ़ें।

जैसा कि आवेदन में अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में उल्लेख किया गया है। हालाँकि, इस तरह का उत्पादन सी. पी. सी. के आदेश XXXIX नियम 1 के तहत प्रस्तुत अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा, जिसे आदेशों के लिए रखे जाने की सूचना है। 10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील आंशिक रूप से अनुमत है। विवादित निर्णय और आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आवेदन में उल्लिखित दस्तावेजों पर भरोसा करने/प्रस्तुत करने के लिए वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करते हुए विद्वान वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किया गया, क्योंकि अतिरिक्त दस्तावेजों को रद्द कर दिया गया है और इस हद तक अलग कर दिया गया है कि अपीलकर्ता को अनुमति नहीं दी गई है-मूल वादी को दिनांकित आवेदन में उल्लिखित चालानों पर भरोसा करने/प्रस्तुत करने के लिए और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को अनुमति दी गई है-मूल वादी को अतिरिक्त दस्तावेजों के रूप में आवेदन में उल्लिखित चालानों को प्रस्तुत करने/उन पर भरोसा करने के लिए अनुमति दी गई है। शेष आदेश में अपीलार्थी को अनुमति नहीं दी गई है।

चालान के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भरोसा करने/प्रस्तुत करने के लिए मूल वादी

जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, क्योंकि अतिरिक्त साक्ष्य एतद्वारा पुष्टि की जाती है। वर्तमान अपील तदनुसार उपरोक्त सीमा तक आंशिक रूप से अनुमत है।

कोई लागत नहीं।

अंकित ज्ञान

अपील की

आंशिक रूप से अनुमति है।